कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

36955-37030
संख्याः /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

दिनांकःइलाहाबादःजनवरी 15,2018

विषय :- **वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में।**

महोदय,

आगामी वर्ष 2018-19 के लिये आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु नीति-निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है। आबकारी नीति की घोषणा शीघ्र संभावित है।

आप अवगत हैं कि विशिष्ट जोन, मेरठ के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों में वर्ष 2009-10 से दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण द्वारा अथवा नवीनीकरण न होने की स्थिति में सार्वजनिक लाटरी अथवा आफर द्वारा किया गया है। विशिष्ट जोन, मेरठ के जनपदों में वर्ष 2011-12 के पश्चात् एकान्तिक विशेषाधिकार/दुकानों के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण किया गया है। माह दिसम्बर, 2016 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित दुकानों को बन्द करने का निर्णय लिये जाने तथा आदेश दिनांक 31-03-2017 द्वारा बीस हजार तक जनसंख्या वाले निकायों के मामले में यह दूरी 220 मीटर किये जाने तथा माह सितम्बर, 2017 में उक्त प्रतिबंध नगरीय क्षेत्र में लागू न होने का निर्णय पारित किये जाने से जनपदों में मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों से प्रभावित भारी संख्या में दुकानों को विस्थापित कराकर संचालित कराया गया है। ऐसी स्थिति में कुछ जनपदों में कतिपय दुकानों का संचालन नहीं हो पाने के कारण सम्पूर्ण निर्धारित एम0जी0क्यू0 का व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। इससे वर्ष 2017-18 का व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 निर्धारित की तुलना में कम हो सकता है।

उक्त स्थिति में वर्ष 2017-18 के लिये काल्पनिक रुप से दुकानों का एम0जी0क्यू0 युक्ति-युक्त कर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा, जिससे इस आधार पर वर्ष 2018-19 के लिये घोषित की जाने वाली नीति के अनुसरण में दुकानों का व्यवस्थापन सुचारु रुप से ससमय संभव हो सके।

अतः इस संबंध में निम्नवत् कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा :-

1. वर्ष 2017-18 के लिये जनपद हेतु देशी शराब का जो एम0जी0क्यू0 निर्धारित था, उसको वर्तमान में संचालित दुकानों तथा ऐसी दुकानों जो वर्ष 2017-18 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव से संचालित नहीं हो पायी, परन्तु वर्ष 2018-19 में जिनके संचालित होने की संभावना है, में उनकी वास्तविक क्षमता के अनुसार युक्ति-युक्त पूर्वक वितरित करके उनका वर्ष 2017-18 के लिये काल्पनिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित कर लिया जाय। दुकानों के एम0जी0क्यू0 को इस तरह युक्ति-युक्त किया जाय कि जनपद में किसी भी दुकान के एम0जी0क्यू0 में वर्तमान निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 20 प्रतिशत अधिक का विचलन न हो।
2. वर्ष 2017-18 में स्वीकृत किन्तु असंचालित कतिपय दुकानों को यदि वर्ष 2018-19 में बंद करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो इस संबंध में औचित्य का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दुकान बंद किये जाने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय। यह ध्यान रखा जाय कि इस कार्यवाही से जनपद का वर्ष 2017-18 का कुल निर्धारित एम0जी0क्यू0 नहीं घटाया जाएगा बल्कि इसे जनपद की शेष दुकानों में समायोजित किया जाएगा।

3. उपरोक्तानुसार विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स की लाइसेंस फीस का भी उनकी वास्तविक बिकी क्षमता के आधार पर युक्ति–युक्त कर लिया जाय, परन्तु युक्ति–युक्त किये जाने के पश्चात् वर्ष 2017–18 के लिये काल्पनिक रुप से निर्धारित लाइसेंस फीस में दुकानों की वर्तमान लाइसेंस फीस से 20 प्रतिशत से अधिक विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार जनपद की दुकानों के एम0जी0क्यू0 व लाइसेंस फीस को युक्ति–युक्त कराते हुये एक सप्ताह के भीतर एम0जी0क्यू0 व लाइसेंस फीस का विवरण तैयार करा लें, जिससे आगामी वर्ष की नीति के अनुसार दुकानों के लिये निर्धारित देयताओं का आगणन तदनुसार किया जाना संभव हो सके तथा दुकानों के व्यवस्थापन में अनावश्यक व्यवधान की स्थिति उत्पन्न न हो। किसी भी स्थिति में पुनर्निधारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस जनपद के लिये वर्ष 2017–18 में निर्धारित (व्यवस्थित नहीं) लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

कृपया कृत कार्यवाही से दिनांक 20–01–2018 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 37031-37152 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उ0प्र0।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अधिकारीगण,मुख्यालय।
5. समस्त पटल सहायक, लाइसेंस अनुभाग।
6. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।